



भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2011-12/11

मास्टर परिपत्र सं. 11/2011-12

01 जुलाई 2011

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

**मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/
पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (WOS) में प्रत्यक्ष निवेश**

समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना 120/आरबी-2004 (19 नवंबर 2004 का जीएसआर 757 (E) अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अनुसार निवासियों को विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति है।

2. इस मास्टर परिपत्र में " निवासियों द्वारा विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित किया गया है। निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए (" सनसेट " खंड के साथ) जारी किया जाता है। इस परिपत्र को 01 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय में अद्यतन परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीया,

(डॉ. सुजाता एलिजाबेथ प्रसाद)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग-1

खंड अ-सामान्य

- अ. 1 प्रस्तावना
- अ. 2 सांविधिक आधार
- अ. 3 निषेध
- अ. 4 सामान्य अनुमति

खंड आ : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

- आ. 1 स्वतः अनुमोदित मार्ग
- आ. 2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश
- आ. 3 निधीयन की विधि
- आ. 4 निर्यातों और अन्य देयताओं का पूंजीकरण
- आ. 5 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश
- आ. 6 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी/ रेटेड ऋण लिखतों में निवेश
- आ. 7 रिजर्व बैंक का अनुमोदन
- आ. 8 उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश
- आ. 9 स्वामित्ववाले फर्मों द्वारा समुद्रपारीय निवेश
- आ. 10 पंजीकृत ट्रस्ट /सोसाईटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश
- आ. 11 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश
- आ. 12 ऐसी समुद्रपारीय संस्था (ओवरसीज इंटिटी) के तुलन पत्र को पुनः संतुलित (रिस्ट्रक्चर)करना, जहाँ पूंजी तथा प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालना शामिल हो
- आ. 13 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अधिग्रहण
- आ. 14 भारतीय कंपनियों का दायित्व
- आ. 15 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण
- आ. 16 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण जिसमें निवेश को बट्टे खाते डालना निहित हो
- आ. 17 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयर गिरवी रखना
- आ. 18 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग

खंड इ : विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

- इ.1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/ उनके अधिग्रहण की अनुमति
- इ. 2 भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूति गिरवी रखना
- इ. 3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

भाग II

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1. नामित शाखाएं
2. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के तहत निवेश
3. सामान्य क्रियाविधिक अनुदेश
4. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश
5. विशिष्ट पहचान संख्या का आबंटन
6. शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश
7. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के तहत निवेश
8. स्टॉक ऑप्शन योजना से संबद्ध एडीआर/ जीडीआर के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद
9. बयाना राशि जमा अथवा बोली बांड गारंटी जारी करने के लिए विप्रेषण
10. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के माध्यम से अंतरण
11. निवेश के सबूत का सत्यापन
संलग्नक -अ
संलग्नक -आ
संलग्नक -इ
परिशिष्ट

भाग- I

खंड-अ सामान्य

अ -1 प्रस्तावना

(1) भारतीय उद्यमियों द्वारा संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में समुद्रपारीय निवेशों की वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना की गई है। संयुक्त उद्यमों को भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक और कारोबारी सहयोग के माध्यम के रूप में समझा जाता है। ऐसे विदेशी निवेशों से उत्पन्न अन्य उल्लेखनीय लाभों में प्रौद्योगिकी और कुशलता का अंतरण, अनुसंधान और विकास के परिणामों को आपस में बांटना, व्यापक विश्व बाजार तक पहुंच, ब्रांड छवि का संवर्धन, रोजगारों का सृजन और भारत में तथा मेजबान देश में उपलब्ध कच्चे मालों का उपयोग आदि शामिल है। वे भारत से संयंत्र और मशीनरी और माल के बड़े हुए निर्यात के माध्यम से विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण संचालक भी हैं तथा ऐसे निवेशों पर लाभांश अर्जन, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क और अन्य हकदारी के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के स्रोत भी हैं।

(2) उदारीकरण के जोश के साथ सामंजस्य रखते हुए, जो सामान्य रूप से आर्थिक नीति और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण का प्रतीक बना है, रिज़र्व बैंक द्वारा दोनों, चालू खाता साथ ही साथ पूंजी खाता लेनदेनों के लिए उसके नियमों में उत्तरोत्तर रियायतें दी गई हैं और क्रियाविधि को सरल बनाया गया है।

अ.2 सांविधिक आधार

- (1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक को पूंजी खाता लेनदेनों के स्वीकार्य वर्गों और ऐसे लेनदेनों के लिए किस सीमा तक विदेशी मुद्रा स्वीकार्य होनी चाहिए उसके बारे में विशिष्ट निर्देश करने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिज़र्व बैंक को विनियम तैयार करते हुए उस उप धारा के उप-खण्डों में उल्लिखित विविध लेनदेनों को निषिद्ध, प्रतिबंधित, या नियंत्रित करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।
- (2) उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फेमा.19/आरबी-2000 और बाद में उसमें हुए संशोधनों को अधिक्रमित करते हुए 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004¹ के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 जारी की है। यह अधिसूचना, भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी

¹ मार्च 31, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा.132/2005 आरबी, 17 मई 2005 की अधिसूचना सं. फेमा 135/2005-आरबी और 11 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. फेमा 139/2005-आरबी, 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. फेमा 150/2006-आरबी, 9 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना सं. फेमा 164/2006-आरबी, 19 दिसंबर 2007 की अधिसूचना सं. फेमा 173/2007-आरबी, 5 सितंबर 2008 की अधिसूचना सं. फेमा 180/2008-आरबी, 01 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना सं. फेमा 181/2008-आरबी और 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना सं. फेमा 196/2009-आरबी, द्वारा यथासंशोधित, (इसके पश्चात् 'अधिसूचना' शब्द से अभिहित)

प्रतिभूति के अभिग्रहण और अंतरण, अर्थात् विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश, साथ ही भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर जारी शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को नियंत्रित करती है। समुद्रपारीय निवेश दो मार्गों अर्थात् (i) पैराग्राफ आ-1 में यथा उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग (ii) पैराग्राफ आ-7 में यथा उल्लिखित अनुमोदित मार्ग के जरिये किये जा सकते हैं।

अ.3 निषेध

भारतीय पार्टियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना स्थावर संपदा कारोबार (स्थावर संपदा का अर्थ है हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का क्रय-विक्रय अथवा उनका सौदा करना किंतु इसमें नगर-क्षेत्र, रिहायशी/व्यावसायिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण शामिल नहीं है।) अथवा बैंकिंग कारोबार में लगे हुए किसी विदेशी कंपनी में निवेश करने पर निषेध है।

अ.4 सामान्य अनुमति

अधिसूचना के विनियम 4 के अनुसार निवासियों को निम्नप्रकार से प्रतिभूतियों की खरीद/अधिग्रहण के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है-

- (क) निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में धारित निधियों में से;
- (ख) विदेशी करेंसी शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और
- (ग) जब भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं है तो भारत के बाहर उनके विदेशी करेंसी स्रोतों में से।

इस प्रकार खरीदे/अभिगृहीत शेयरों को बेचने की भी सामान्य अनुमति है।

खंड आ : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

आ.1 : स्वतः अनुमोदित मार्ग

- (1) अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार भारतीय पार्टी, अर्थात् विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाओं में निवेश करनेवाली भारत में निगमित कंपनी अथवा संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत बनी कंपनी अथवा भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म अभिप्रेत है और उसमें व्यक्तियों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कंपनी शामिल है, को विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख में निवल मालियत ² के 400 प्रतिशत से अनधिक का निवेश करने की अनुमति है।
- (2) निवल मालियत का 400 प्रतिशत की सीमा भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई शेष राशि अथवा एडीआर/ जीडीआर के माध्यम से जुटाई गई निधियों से किए गए निवेश पर लागू नहीं होगी। भारतीय पार्टी, ऐसे निवेशों के संबंध में प्रेषण हेतु ओडीआइ फार्म में आवेदन (संलग्नक-अ) और निर्धारित अनुलग्नकों / दस्तावेजों के साथ

² निवल मालियत का अर्थ प्रदत्त पूँजी तथा निर्वध आरक्षित निधियाँ हैं।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – । बैंक से संपर्क करें।

(3) उक्त 400 प्रतिशत की सीमा में समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं का पूजी में अंशदान, संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को स्वीकृत ऋण और संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को या उसकी ओर से जारी निष्पादन गारंटी से भिन्न 100 प्रतिशत गारंटियाँ तथा निष्पादन गारंटियों की 50 प्रति शत राशि शामिल होंगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं-

क) भारतीय पार्टी/कंपनी केवल उसी समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को ऋण/गारंटी दे सकती है जिसमें उसकी ईक्विटी सहभागिता है। भारतीय कंपनी किसी भी प्रकार की गारंटी-कारपोरेट या वैयक्तिक/ प्राथमिक या प्रवर्तक कंपनी द्वारा संपार्शिक/ गारंटी अथवा भारत स्थित समूह कंपनी, सहयोगी संस्था, सहयोगी कंपनी द्वारा गारंटी दे सकती है बशर्ते

- i) सभी प्रकार की गारंटियों सहित सभी वित्तीय प्रतिबद्धताएं भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित समग्र सीमा अर्थात् वर्तमान में भारतीय पार्टी के तुलन पत्र के पिछले लेखा परीक्षण करने की तारीख को निवल मालियत के 400 प्रतिशत के अंदर हैं।
- ii) कोई भी गारंटी "असीमित" न हो अर्थात् गारंटी की राशि तथा अवधि स्पेसीफाइड अपफ्रंट होनी चाहिए। निष्पादन गारंटी के मामले में, संविदा पूर्ण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि संबंधित कार्य निष्पादन गारंटी की वैधता अवधि होगी ।
- iii) ऐसे मामले, जहां निष्पादन गारंटियों के आह्वान के कारण भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400 प्रतिशत के वित्तीय एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा भंग होती हो, वहां भारतीय पार्टी को ऐसे आह्वान के कारण भारत से निधियां प्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।
- iv) कंपनी गारंटी के मामले में, सभी गारंटियों (निष्पादन गारंटियों सहित) की सूचना ओडीआइ फार्म भाग II में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। भारत से बाहर की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों के पक्ष में भारत में स्थित बैंकों द्वारा जारी गारंटियां इस सीमा से बाहर होंगी और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीओडी) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगी।

टिप्पणी:अनिवासी कंपनी के पक्ष में अचल संपत्ति पर प्रभार सृजित करने और भारतीय मूल / समूह कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ख) भारतीय पार्टी, रिज़र्व बैंक के निर्यातक सतर्कता सूची, रिज़र्व बैंक/ ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि.(सीआइबीआइएल) / अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता की सूची में न हो अथवा किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन न हो।

- ग) संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं से संबंधित सभी लेनदेन भारतीय पार्टी द्वारा नामित की जानेवाली किसी प्राधिकृत व्यापारी की एक शाखा के माध्यम से किए जाएं।
- घ) वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक/ पूर्ण अधिग्रहण के मामले में, जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर/ वाणिज्यिक बैंकर और अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जाता है।
- ङ) शेयरों के स्वैप के रूप में निवेश के मामलों में, राशि पर ध्यान दिए बिना शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I वाणिज्यिक बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत भारत से बाहर निवेश बैंकर द्वारा करना होगा। शेयरों के स्वैप द्वारा निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से अनुमोदन भी एक पूर्व शर्त होगी।
- (च) पंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा विदेश स्थित विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में, जहां ऐसे निवेश के लिए संपूर्ण निधीयन फर्म द्वारा किया जाता है, तो अलग-अलग साझेदारों के लिए यह सही होगा कि वे विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में फर्म के लिए और फर्म की ओर से शेयर धारण करें, यदि मेजबान देश के विनियम अथवा परिचालनात्मक अपेक्षाएं ऐसी शेयर धारिता का अधिकार देती हैं।
- (छ) कोई भारतीय पार्टी, वास्तविक कारोबार के कार्यकलापों में लगी हुई विदेशी कंपनी के शेयर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मेकानिज़म के माध्यम से) योजना, 1993 और उसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले शेयर अधिग्रहण करने की अनुमति है, बशर्ते:
- (i) एडीआर/ जीडीआर भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;
 - (ii) अधिग्रहण के प्रयोजन से एडीआर और/ अथवा जीडीआर निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी विचाराधीन नवीन ईक्विटी शेयरों द्वारा समर्थित हैं;
 - (iii) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में कुल धारिता नए एडीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम के बाद विस्तारित पूंजी आधार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत ऐसे निवेश के लिए संबंधित विनियमों के अधीन निर्धारित क्षेत्रीय सीमा से अधिक न हो;
 - (iv) विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा ;
 - (क) यदि शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं तो निवेशकर्ता बैंकर की सिफारिशों के अनुसार; अथवा
 - (ख) महीना जिसमें अधिग्रहण किया गया है उसके पूर्ववर्ती तीन महीनों के लिए विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज के मासिक औसत मूल्य के आधार पर विदेशी

कंपनी का वर्तमान बाजार पूंजीकरण होता है, उसके आधार पर और इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रीमियम , यदि कोई हो , जिसकी बैंक द्वारा अपनी तत्परता (डिलीजेंस) रिपोर्ट में सिफारिश की गयी हो , के आधार पर।

- (4) भारतीय पार्टी लेनदेन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत बैंक को फार्म ओडीआइ में ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

टिप्पणी : नेपाल में सिर्फ भारतीय रुपए में निवेश करने की अनुमति है। भूटान में भारतीय रुपए और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निवेश की अनुमति है। मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किए गए निवेशों के संबंध में प्राप्य सभी राशियां और उनकी बिक्री/ समापन प्राप्यों को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित है। पाकिस्तान में निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आ.1.1 भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की स्टेप डाउन सहायक कंपनी को सामान्य अनुमति के तहत गारंटी जारी करना

(क) वर्तमान में, भारतीय पार्टियों को स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के रूप में कार्यरत अपने संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा स्थापित उनके पहले स्तर के स्टेप डाउन कार्यरत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ओर से कार्पोरेट गारंटी जारी करने की अनुमति है, बशर्ते भारतीय पार्टी की 'वित्तीय प्रतिबद्धता' समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की मौजूदा सीमा के भीतर हो । यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष सहायक कंपनी कार्यरत कंपनी अथवा विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) होने पर ध्यान दिये बिना भारतीय प्रवर्तक संस्था समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रचलित (अनुमत) सीमा के भीतर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत फर्स्ट जनरेशन स्टेप डाउन कार्यरत कंपनी की ओर से कार्पोरेट गारंटी प्रदान कर सकती है । ऐसी गारंटियां अब तक की भांति, संबंधित पदनामित प्राधिकृत व्यापारी के जरिये ओडीआइ फॉर्म में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करनी होंगी ।

(ख) इसके अलावा, सेकंड जनरेशन अथवा अनुवर्ती स्तर की स्टेप डाउन कार्यरत सहायक कंपनियों की ओर से कार्पोरेट गारंटी जारी करना अनुमोदित मार्ग के तहत समझा जाएगा बशर्ते भारतीय पार्टी ऐसी गारंटी जिस कंपनी के लिए जारी करना चाहती है उस समुद्रपारीय सहायक कंपनी में वह 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक स्टैक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारण किये हो ।

आ.1.2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जरिये निवेश

(i) अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के माध्यम से भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश की भी अनुमति है बशर्ते कि भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के अधीन न हो अथवा रिज़र्व बैंक /रिज़र्व बैंक द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंफॉर्मेशन

कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता सूची में न हो। चूककर्ता की सूची में नाम वाले भारतीय पार्टियों को निवेश के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ii) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत एसपीवी की स्थापना को विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश के प्रयोजन के लिए अनुमति दी जाती है।

आ. 2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश

- (1) प्राधिकारी व्यापारी बैंक बिना किसी सीमा के नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड(ओवीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड(ओआइएल) द्वारा तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश (अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस, आदि की खोज और खुदाई के लिए) को अनुमति दें बशर्ते ऐसे निवेशों को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (2) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अन्य भारतीय कंपनियों को भी उनके निवल मालियत के 400 प्रतिशत तक तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो और इसके साथ ऐसे निवेश का अनुमोदन करते हुए बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति हो। भारतीय कंपनी के निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (3) भारतीय कंपनियों को अनुमत मार्ग के तहत, सह स्वामित्व आधार पर सबमरीन केबल सिस्टम्स निर्माण करने तथा उसके रखरखाव के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों के साथ सहायता संघ में सहभागी होने के लिए भी अनुमति दी गयी है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा विप्रेषण के लिए अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दें कि भारतीय कंपनी ने इंटरनेशनल लॉग डिस्टैन्स सर्विसेज स्थापित करने, लगाने, परिचालन और रखरखाव के लिए दूरसंचार विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया है और इस प्रकार के निवेश अनुमोदित करनेवाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की है। तदनुसार, सहायता संघ में निवेश करनेवाली भारतीय संस्थाओं द्वारा ये लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को उसके ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण के लिए ओडीआइ फॉर्म में रिपोर्ट किये जाएं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा युनिक पहचान संख्या के आबंटन के लिए रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये जाएं।

आ.3 निधियन की विधि

1. समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाओं में निवेश निम्नलिखित में से किसी एक स्रोत से निधियन किया जाए:
 - i) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा का आहरण;

- ii) निर्यात का पूंजीकरण;
 - iii) शेयरों की अदला बदली (उपर्युक्त पैरा आ.1(ड.) में उल्लिखित किये अनुसार मूल्यांकन);
 - iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की आय का उपयोग;
 - v) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म के माध्यम से) योजना, 1993 के निर्गम की योजना और उसके अधीन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले में ;
 - vi) भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में रखी शेष राशि; और
 - vii) एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई विदेशी मुद्रा निधियों की आय।
- उपर्युक्त (vi) और (vii) के संबंध में, निवल मालियत के 400 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि वित्तीय क्षेत्र में निवेशों के संबंध में, निधीयन की प्रणाली पर ध्यान दिए बिना वही अधिनियम के विनियम 7 के अनुपालन की शर्त लागू होगी।
- (2) प्रतिभूतियों की खरीद/ अधिग्रहण के लिए भारत में निवासी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से सामान्य अनुमति दी गई है;
- (i) आरएफसी खाते में रखी गई निधियों में से;
 - (ii) विदेशी मुद्रा शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और
 - (iii) जब भारत में स्थायी निवासी नहीं है तो ,भारत के बाहर उनके विदेशी मुद्रा स्रोतों में से (उपर्युक्त पैरा अ.4)।

आ.4 निर्यातों और अन्य देयताओं का पूंजीकरण

- 1) भारतीय पार्टियों को लागू सीमा के अंदर विदेशी कंपनियों से निर्यात, शुल्क, रॉयल्टी के लिए देय भुगतान अथवा तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंधकीय और अन्य सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनी से अन्य प्राप्य राशि के पूंजीकरण की भी अनुमति है। वसूली की तारीख के बाद यदि निर्यात आय का पूंजीकरण वसूल नहीं किया जाता हो, तो उसके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
- 2) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों को संयुक्त उद्यम के साथ करार किये बिना, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशी सॉफ्टवेयर स्टार्ट-अप कंपनी को किए गए उनके निर्यातों के मूल्य का 25% शेयरों के रूप में प्राप्त करने की अनुमति है।

आ.5 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

- (1) अधिसूचना के विनियम 7 के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत भारत के बाहर की किसी कंपनी में निवेश करने की अनुमति मांगने वाली भारतीय पार्टी को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा;
 - (i) वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलाप चलाने के लिए भारत में विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए;

- (ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ कमाना चाहिए;
 - (iii) भारत और विदेश में स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से ऐसे वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप में उद्यम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए; और
 - (iv) भारत में स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- (2) वर्तमान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों अथवा वित्तीय सेवा क्षेत्र में स्थित उनकी स्टेप डाउन सहयोगी कंपनी द्वारा किसी अतिरिक्त निवेश के लिए भी उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (3) विदेशी किसी भी क्षेत्र के क्रियाकलाप में निवेश करनेवाली वित्तीय क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में अविनियमित कंपनियों अधिसूचना के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन गैर वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में निवेश कर सकती हैं। समुद्रीपारीय पण्य मंडियों में व्यापार करना और समुद्रपारीय मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना करना वित्तीय सेवा कार्यकलाप के रूप में गिना जाएगा और उसे वायदा बाजार आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत है।

आ.6 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी / निर्धारित (रेटेड) ऋण लिखतों में निवेश

(1) (i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को तुलन पत्र के पिछले लेखा परीक्षण की तारीख को उनके निवल मालियत के 50 प्रतिशत तक सूचीबद्ध विदेश कंपनियों द्वारा जारी, प्रामाणिक /पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर निर्धारित (i) शेयरों और (ii) बांडों/ नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

(ii) म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश

सेबी के पास पंजीकृत भारतीय म्युचुअल फंडों को 7 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अंदर निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति है:

- i) भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर;
- ii) विदेश में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की ईक्विटी;
- iii) विदेश में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए पब्लिक आफर पर प्रारंभिक और विराम के बाद होने वाले;
- iv) पूर्ण परिवर्तनीय मुद्राओंवाले देशों में विदेशी ऋण प्रतिभूतियों और प्रामाणिक /पंजीकृत क्रेडिट एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर रेटिंग वाले अल्पावधि और दीर्घावधि लिखतें;
- v) निवेश ग्रेड से ऊपर रेटेड मुद्रा बाजार लिखतें;
- vi) निवेश के रूप में रिपो, जहां प्रतिपक्षी को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है। फिर भी, रिपो को म्युचुअल फंडों द्वारा निधियों के किसी उधार में शामिल नहीं होना चाहिए।

- vii) सरकारी प्रतिभूतियां, जहां देशों को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है;
 - viii) प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्नीहित के साथ केवल हेजिंग और पोर्टफोलियो समतोलन के लिए विदेश स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में व्युत्पन्न व्यापार;
 - ix) विदेश में स्थित बैंकों के साथ अल्पावधि सावधि जमा, जहां जारीकर्ता को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका जाता है;
 - x) विदेशी म्युचुअल फंडों अथवा विदेशी नियामकों में पंजीकृत यूनिट ट्रस्ट जो (क) उपर्युक्त प्रतिभूतियों (ख) विदेशी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रियल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा (ग) असूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियों (उनके निवल परिसंपत्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत) में निवेश करते हैं।
- (2) अर्हता प्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों की एक सीमित संख्या को सेबी द्वारा यथानुमत समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक संचयी रूप से निवेश की अनुमति दी जाती है।
 - (3) सेबी के पास पंजीकृत देशी जोखिम पूंजी निधियां 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अधीन अपतटीय जोखिम पूंजी उपक्रमों के ईक्विटी और ईक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकती हैं। तदनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए म्युचुअल फंड/जोखिम पूंजी निधियों वाले इच्छुक घटक आवश्यक अनुमति के लिए सेबी से संपर्क करें।
 - (4) इस प्रकार अधिगृहीत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए निवेशकों की उपर्युक्त श्रेणी को सामान्य अनुमति प्राप्त है।

आ-7 रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

- (1) विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इस प्रयोजनार्थ आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ ओडीआइ फार्म में और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं।
- (2) ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :-
 - क) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की, प्रथम दृष्टि में, अर्थसक्षमता;
 - ख) विदेशी व्यापार और अन्य लाभ में योगदान, जो ऐसे निवेश से भारत को प्राप्त होगा;
 - ग) भारतीय पार्टी और विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति और पिछला कारोबार निष्पादन रिकार्ड;
 - घ) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के उसी कार्यकलाप या उससे संबंधित कार्यकलापों में भारतीय पार्टी की विशेषज्ञता और अनुभव।

आ.8 उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश

रिज़र्व बैंक उर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र (अर्थात् तेल, गैस ,कोयला और खनिज अयस्क) में विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय कंपनियों के पिछले लेखा -परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को उनके निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश के आवेदन पर विचार करेगा। तदनुसार ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अपने ग्राहकों से प्राप्त ऐसे आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिज़र्व बैंक को भेजें।

आ.9 स्वामित्ववाली कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

- (1) प्रमाणित पिछले कार्यनिष्पादनवाले और वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभों का लाभ उठाने के लिए सतत रूप से उच्च निर्यातवाले मान्यता प्राप्त तारांकित निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी फर्मों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फार्म ओडीआइ में आवेदन प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पाँचवी मंजिल, मुंबई को किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे निवेश प्रस्तावों को अपनी टिप्पणियों/ सिफारिशों के साथ विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजें।
- (2) स्थापित स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी निर्यातक फर्मों द्वारा निवेश निम्नलिखित मानदण्डों के अधीन होगा :
 - i) साझेदारी/ स्वत्वधारी फर्म विदेशी निवेश के महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार निर्यात हाउस है।
 - ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक अपने ग्राहक को जानिए का अनुपालक है, प्रस्तावित कारोबार में कार्यरत है और उपर्युक्त (i) में दर्शाए गई अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - iii) निर्यातक का अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड है अर्थात् निर्यात बकाया पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निर्यात प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है।
 - iv) निर्यातक किसी प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे सरकारी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं है और रिज़र्व बैंक के निर्यातकों की सतर्कता सूची अथवा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता सूची में नहीं है।
 - v) भारत के बाहर निवेश की राशि तीन वित्तीय वर्षों के निर्यात प्राप्ति के 10 प्रतिशत से अधिक न हो अथवा फर्म के निवल मालियत के 200 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

आ.10 पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश

विनिर्माण /शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत ट्रस्ट और सोसाइटियों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में उसी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी जाती है। नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले ट्रस्ट और सोसाइटी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से फार्म ओडीआइ में आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, 5वीं मंजिल, फोर्ट ,मुंबई 400001 को विचारार्थ प्रस्तुत करे।

पात्रता मानदंड :

(क) ट्रस्ट

- i) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए;
- ii) ट्रस्ट विलेख विदेश में प्रस्तावित निवेश की अनुमति देता है;
- iii) प्रस्तावित निवेश ट्रस्टी/ ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए;
- iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि ट्रस्ट अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है;
- v) ट्रस्ट कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;
- vi) ट्रस्ट किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।

(ख) सोसाइटी

- i) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए;
- ii) सोसाइटी के बर्हिनियम और नियम और विनियम सोसाइटी को प्रस्तावित निवेश की अनुमति देते हैं जो शासी निकाय /परिषद अथवा प्रबंधन / कार्यकारिणी समिति द्वारा भी अनुमोदित होने चाहिए;
- iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि सोसाइटी अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है;
- iv) सोसाइटी कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;
- v) सोसाइटी किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई जैसी एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।

पंजीकरण के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक यह सुनिश्चित करें कि आवेदक ने क्रियाकलाप , जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से विशेष लाइसेंस / अनुमति, जैसी भी स्थिति हो, की यदि आवश्यकता हो तो ऐसा विशेष लाइसेंस/ अनुमति प्राप्त की है।

आ.11 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश

विनियमों के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं अपने कार्यकलापों में विविधता ला सकती हैं/ स्टेप डाउन सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकती हैं/ समुद्रपारीय कंपनी में शेयर धारिता के स्वरूप को बदल सकती हैं (वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, विनियम 7 के अनुपालन के अधीन)। भारतीय पार्टी मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार संबंधित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के ब्योरे अनुमोदन के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के जरिए रिज़र्व बैंक को दें और उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट -ओडीआइ भाग III) में शामिल करें।

आ.12 ऐसी समुद्रपारीय संस्था (ओवरसीज इंटिटी) के तुलन पत्र को पुनः संतुलित (रिस्ट्रक्चर) करना, जहाँ पूंजी तथा प्राप्य राशियां बढ़े खाते में डालना शामिल हो

भारतीय कार्पोरेंटों को परिचालनगत अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय प्रवर्तक जिन्होंने विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(डब्ल्यूओएस) स्थापित की है अथवा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम में न्यूनतम 51 प्रतिशत के स्टोक धारी है, वे संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों(डब्ल्यूओएस) के संबंध में पूंजी(ईक्विटी /अधिमानि शेयर) अथवा ऋण, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा प्रबंध शुल्क जैसी अन्य प्राप्य राशियां बढ़े खाते में डाल सकते हैं, भले ही ऐसे संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों(डब्ल्यूओएस) निम्नानुसार कार्य करना जारी रखती हैं ;

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में किए गए ईक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूंजी तथा अन्य प्राप्य राशियां बढ़े खाते में डालने की अनुमति दी जाती है; और

(ii) गैर- सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमोदित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में किए गए ईक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूंजी तथा अन्य प्राप्य राशियां बढ़े खाते में डालने की अनुमति दी जाती है।

बढ़े खाते में डालने/रिस्ट्रक्चरिंग किये जाने पर उसकी सूचना 30 दिनों के भीतर पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिये रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जानी है। बढ़े खाते में डालना/रिस्ट्रक्चरिंग इस शर्त के तहत अनुमत है कि भारतीय पार्टी छान-बीन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदित मार्ग के तहत पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंक को आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगी:

ए) भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस)/ संयुक्त उद्यम(जेवी) में हानि दर्शानेवाले तुलन पत्र की प्रमाणित प्रति; और
बी) बट्टे खाते में डालने/रिस्ट्रिक्चरिंग के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी को मिलने वाले लाभों को दर्शाने वाला आगामी पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)।

आ. 13 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अभिग्रहण

भारतीय पार्टी अधिसूचना के विनियम 14 के प्रावधानों के अनुसार बोली या टेंडर प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी के अभिग्रहण के लिए बयाना रकम का विप्रेषण अथवा बोली बांड गारंटी जारी कर सकती है एवं बाद के प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के जरिए कर सकती है।

आ. 14 भारतीय संस्थाओं का दायित्व

- (1) विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करने वाली भारतीय पार्टी के निम्नलिखित दायित्व हैं। (क) निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना, (ख) विदेशी कंपनी से प्राप्य रकम भारत में प्रत्यावर्तित करना, और (ग) अधिसूचना के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक को दस्तावेज/ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक को प्रस्तुत किये जाने हैं और ये दस्तावेज पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक द्वारा अपने पास रखना है। उनसे यह अपेक्षित है कि वह इन दस्तावेजों की प्राप्ति पर निगरानी रखें तथा उसकी वास्तविकता के संबंध में अपनी पूरी संतुष्टि कर लें। पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक द्वारा एपीआर (फॉर्म ओडीआइ का भाग III) के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (2) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट की प्रस्तुति सहित रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में निवेशकों पर भी लागू है।

आ. 15. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण

- (1) कोई भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य भारतीय पार्टी को, जो 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा सं.123/आरबी-2004 के विनियम 6 के उपबधों का अनुपालन करती है या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को उसके द्वारा भारत से बाहर के किसी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के अपने शेयर या प्रतिभूति को बिक्री के मार्फत निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अंतरित कर सकती है:
- बिक्री का परिणाम किये गये निवेश में कोई बट्टा नहीं है;
 - स्टॉक एक्सचेंज, जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं,के माध्यम से बिक्री की गई है;
 - यदि शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया जाता है, तो शेयरों का मूल्य संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर उचित मूल्य

के रूप में सनदी लेखाकार/ प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम नहीं है;

- iv) भारतीय पार्टी के पास लाभांश, तकनीकी ज्ञान की फीस, रॉयल्टी, परामर्श सेवाओं, कमीशन अथवा अन्य हकदारी और/ अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से निर्यात के प्राप्यों से संबंधित कोई बकायादारी नहीं है;
- (v) समुद्रपारीय प्रतिष्ठान पिछले पूरे एक वर्ष से कार्यरत है और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है;
- vi) भारतीय पार्टी के विरुद्ध भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो/ प्रवर्तन निदेशालय/ सेबी/ आइआरडीए अथवा किसी अन्य विनियामक द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है।

2. भारतीय संस्थाओं को निवेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने नामित प्राधिकारी व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे प्रस्तुत करने होंगे।

आ.16 संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण, जिसमें निवेश को बट्टे खाते डालना निहित हो

(1) भारतीय पार्टियां निम्नलिखित मामलों में जहां निवेश की गयी मूल राशि से विनिवेशित प्रत्यावर्तनीय राशि कम हो रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विनिवेश कर सकती है:

- i) जहां संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
- ii) जहां भारतीय प्रवर्तक कंपनी भारत स्थित किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है।
- iii) जहां भारतीय प्रवर्तक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और विदेशी उद्यम में निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।
- iv) जहां भारतीय पार्टी एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम है किंतु समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश की राशि 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो ।

(2) ऐसे विनिवेश उल्लिखित मद सं.आ.15 (ii) से (iv) आ.15.2 में दी गयी शर्तों के अधीन होंगे ।

(3) कोई भारतीय पार्टी जो विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में विनिवेश करने के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है उसे इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा ।

आ. 17 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों को गिरवी रखना

कोई भी भारतीय पार्टी विदेश में अपने अथवा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए ऋण सुविधा लेने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पास संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली

सहायक संस्था के शेयरों को अधिसूचना के विनियम 18 के अनुसार गिरवी रख सकती है। भारतीय पार्टियां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में धारित शेयरों को गिरवी के रूप में किसी समुद्रपारीय उधारदाता को अंतरित कर सकती है बशर्ते उधारदाता का एक बैंक के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है और भारतीय पार्टियों की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं समुद्रपारीय निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अंदर रहती हैं।

आ. 18. प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की हेजिंग

- (1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेशवाले निवासी कंपनियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न होनेवाले एक्सचेंज रिस्क के हेजिंग की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ऐसे जोखिम के सत्यापन की शर्त पर अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ईक्विटी और ऋण) के हेजिंग के इच्छुक निवासी कंपनियों के साथ वायदा/ ऐच्छक करार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ऐसे वायदा संविदाओं को रद्द करने की अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार रद्द किए गए संविदाओं के 50 प्रतिशत के पुनः बुकिंग की अनुमति दी जाए।
- (2) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाज़ार मूल्य में गिरावट के कारण हेजिंग आंशिक अथवा पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है तो हेजिंग मूल परिपक्वता तक कायम रह सकता है। नियत तारीख को रोलओवर उस तारीख को बाज़ार मूल्य की सीमा तक अनुमत है।

खंड इ -

विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

इ. 1

कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/उनके अधिग्रहण के अनुमति

भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है :-

- क) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से उपहार स्वरूप विदेशी प्रतिभूति का अधिग्रहण;
- ख) भारत से बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी नकद रहित कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत जारी शेयर का अधिग्रहण बशर्ते इसमें भारत से किसी प्रकार का विप्रेषण शामिल न हो;
- ग) भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति से विरासत में शेयरों का अधिग्रहण;
- घ) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयर की खरीद, यदि वह किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा अथवा विदेशी कंपनी की भारत स्थित सहायक कंपनी अथवा किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम से विदेशी ईक्विटी धारिता 51% से कम नहीं है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक इस योजना के परिचालनगत पद्धति पर ध्यान दिए बिना इस प्रावधान के तहत पात्र व्यक्तियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अर्थात् जहां योजना के तहत शेयर, जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्ट/ किसी विशेष प्रयोजन माध्यम/ स्टेप डाउन सहायक कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित किए जाते हैं बशर्ते -
 - (i) शेयरों की जारीकर्ता कंपनी की प्रभावपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनी में, जिसके कर्मचारी/ निदेशकों को शेयरों का प्रस्ताव दिया जा रहा है इसकी ईक्विटी में धारिता 51% से कम न हो ;
 - (ii) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत एकरूप आधार पर वैश्विक रूप से जारीकर्ता कंपनी द्वारा शेयर का प्रस्ताव दिया जा रहा है, और
 - (iii) विप्रेषणों/ लाभार्थियों, आदि का ब्योरा देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - 1 बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को भारतीय कंपनी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट (संलग्नक-आ), प्रस्तुत की जाती है।

भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्त के अनुसार अधिगृहीत शेयरों को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है बशर्ते उससे प्राप्त राशि को प्राप्ति के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री तारीख से 90 दिनों के अंदर ही प्रत्यावर्तित किया जाता है।

- ड) विदेशी कंपनियों को किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत भारत में

निवासियों को जारी शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति है बशर्ते (i) ये शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बने नियमों/ विनियमों के अनुसार जारी किए गए हैं (ii) ये शेयर प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पुनः खरीदे जा रहे हैं और (iii) विप्रेषणों/ लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाती है।

च) अन्य सभी मामलों में जो सामान्य या विशेष अनुमति के दायरे में नहीं आते हैं, विदेशी प्रतिभूति प्राप्त करने से पहले रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है।

इ. 2 भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति गिरवी रखना

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत शेयरों को भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ सार्वजनिक वित्तीय संस्था से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गिरवी रखने की अनुमति है।

इ 3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

निवासियों को विदेशी प्रतिभूति अधिग्रहण करने की अनुमति है अगर वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:-

- क) भारत के बाहर कंपनी का निदेशक बनने के लिए योग्यता शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है बशर्ते शेयर समुद्रपारीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक न हो और अधिग्रहण के लिए प्रतिफल एक कैलेंडर वर्ष में 20,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो;
- ख) स्वत्वाधिकार शेयरों का प्रतिनिधित्व करता हो बशर्ते फिलहाल लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारण करने की हैसियत से अधिकार शेयर जारी किए जा रहे हैं;
- ग) भारतीय प्रवर्तक कंपनी के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों की भारतीय प्रवर्तक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत है, के कर्मचारियों/ निदेशकों द्वारा खरीद, जहाँ ऐसे खरीद का प्रतिफल पांच कैलेंडर वर्ष के खंड में 10,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य से अधिक न हो; इस प्रकार अधिगृहीत शेयर भारत के बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; और ऐसे शेयरों के आबंटन के बाद भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का उसके कर्मचारियों को आबंटित शेयरों को मिलाकर जो प्रतिशत है वह भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा ऐसे आबंटन के पहले धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो।
- घ) ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों सहित निवासी कर्मचारियों द्वारा एडीआर/ जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद, बशर्ते पांच कैलेण्डर वर्ष के ब्लॉक में क्रय प्रतिफल 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो।

भाग II

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1. नामित शाखाएं

भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करनेवाली पात्र भारतीय पार्टी से अपेक्षा है कि वह निवेश से संबंधित सभी लेनदेन अधिसूचना के विनियम 6 के उप-विनियम 2 के खंड (v) के अनुसार उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंक के केवल एक शाखा के माध्यम से करें। भारतीय पार्टी के भारत से बाहर के निवेशों के संबंध में रिज़र्व बैंक को भेजे जानेवाले सभी पत्राचार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के उसी शाखा के माध्यम से किए जाएं जिसे निवेश के लिए भारतीय निवेशक ने नामित किया है। अपने ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों को रिज़र्व बैंक भेजते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक अनुरोध के साथ अपनी टिप्पणी/ सिफारिश भी भेजें। फिर भी, भारतीय निवेशक/ प्रवर्तक उनके द्वारा भारत से बाहर प्रवर्तित विभिन्न संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए विभिन्न प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों/ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं को नामित कर सकते हैं। उचित अनुवर्ती के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के संबंध में पार्टीवार रिकार्ड रखें।

2. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के तहत निवेश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक किसी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करने के लिए भारतीय पार्टी/ पार्टियों से विधिवत् भरे हुए फार्म ए-2 के साथ फार्म ओडीए में आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्राप्त होने पर स्वीकार्य सीमा तक निवेश की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी 2004 के विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों का उन्होंने अनुपालन किया हो। वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 7 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाए। वित्तीय क्षेत्र में निवेश के संबंध में विप्रेषण की रिपोर्ट भेजते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंक यह प्रमाणित करें कि भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। विप्रेषण की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडीए फॉर्म में निर्धारित किये अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और वे ठीक पाये गये हैं।

3. सामान्य क्रियाविधिक अनुदेश

- (1) समुद्रपारीय निवेश की रिपोर्टिंग प्रणाली को 01 जून 2007 से संशोधित किया गया है। पहले के सभी फार्मों को एक फार्म अर्थात् ओडीआइ में शामिल किया गया है जिसके चार भाग हैं :

भाग I - जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

खंड अ - भारतीय पार्टी के ब्योरे

खंड आ - नई परियोजना में निवेश के ब्योरे

खंड इ - वर्तमान परियोजना में निवेश के ब्योरे

खंड ई - संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए निधीयन

खंड उ - भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा रखा जाए)

खंड ऊ - भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक द्वारा रखा जाए)

भाग II - विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

भाग III - वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

भाग IV - संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के समापन/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ बंद करने की रिपोर्ट

- (2) संशोधित फार्म से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को केवल कारगर तथा सरल बनाया गया है और वर्तमान पात्रता मानदंडों/ प्रलेखीकरण/ सीमाओं में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं है।
- (3) ओडीआइ फॉर्मों की ऑन-लाइन रिपोर्टिंग 2 मार्च 2010 से चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी है। इस नयी प्रणाली से अनन्य(युनिक) पहचान संख्या (युआइएन) देना, विप्रेषण/विप्रेषणों की प्राप्ति सूचना देना तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों (एपीआरएस) की फाइलिंग और संदर्भ के लिए प्राधिकृत व्यापारी स्तर पर आंकड़े सहज उपलब्ध कराना ऑन-लाइन पर हो सकेगा।

(क) प्रारंभ में युआइएन के आबंटन, अनुवर्ती विप्रेषणों की रिपोर्टिंग, वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टिंग की फाइलिंग आदि के लिए समुद्रपारीय निवेश आवेदनपत्र में फॉर्म ओडीआइ के भाग I (अनुभाग अ से ई तक), II तथा III ऑन-लाइन फाइल किये जाने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक 1 जून 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 68 में निर्धारित किये गये अनुसार प्रत्यक्ष फॉर्म में ओडीआइ फॉर्म प्राप्त करना जारी रखेंगे, जिसे यदि विशेष रूप से आवश्यक हो तो रिजर्व बैंक को आगे के प्रस्तुतीकरण के लिए युआइएन-वार परिरक्षित किया जाना चाहिए। म्युच्युअल फंडों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआइएस) तथा कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (इएसओपीएस) के संबंध में लेनदेन समुद्रपारीय निवेश आवेदनपत्र में ऑन-लाइन रिपोर्ट किये जाने आवश्यक हैं।

- (ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों के केंद्रीकृत इकाई/ नोडल कार्यालय द्वारा ऑन-लाइन रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। समुद्रपारीय निवेश आवेदनपत्र रिज़र्व बैंक की सुरक्षित इंटरनेट वेब-साइट (एसआइडब्ल्यू) <https://secweb.rbi.org.in> पर उपलब्ध है तथा वेब-साइट के मुख्य पृष्ठ पर आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए एक लिंक उपलब्ध करायी गयी है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक ऑन-लाइन पर सूचित की गयी सूचना की वैधता के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (ग) अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय निवेश के लिए आवेदनपत्र, अनुमोदन प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त में की गयी अपेक्षा के अनुसार भाग I में ऑन-लाइन रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, पहले की तरह प्रत्यक्ष फॉर्म में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते रहेंगे।
- (घ) 27 मार्च 2006 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29 के अनुसार स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विनिवेश/ बंद करने/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ओडीआइ फार्म के भाग IV में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहें। विनिवेश के अन्य सभी मामलों में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ङ) नयी रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत युआइएन ऑन-लाइन प्राप्त कर सकेंगे। तथापि, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत आगे के अनुवर्ती विप्रेषण और अनुमोदन मार्ग के तहत विप्रेषण रिज़र्व बैंक से पत्र की प्राप्ति तथा युआइएन की पुष्टि के बाद ही भाग II में किये जाने तथा रिपोर्ट किये जाने चाहिए।
- (4) एक से अधिक भारतीय पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निवेश के मामले में फॉर्म ओडीआइ सभी निवेशकर्ता पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत की जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी -I प्रत्येक पार्टी के ब्योरे देते हुए समेकित ओडीआर फार्म प्रस्तुत करें। जहाँ अधिसूचना के विनियम 6(5) के अनुसार भारतीय पार्टियों के एडीआर/जीडीआर निर्गमों की प्राप्ति में से किया गया हो वहां भी यही प्रक्रिया अपनायी जाए। समुद्रपारीय परियोजना को रिज़र्व बैंक मात्र एक युनिक पहचान संख्या आबंटित करेगा।
- (5) यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टियों का ईक्विटी स्टेक है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विदेश के संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण के लिए विप्रेषण और/ अथवा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को/की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति दे सकते हैं।

4. **7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश**
अधिसूचना के विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निर्यात अथवा अन्य प्राप्यों/ हकदारियों जैसे, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि के पूंजीकरण के जरिए प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में भी भारतीय पार्टियों को फार्म ओडीआइ में पूंजीकरण के पूरे ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत करना चाहिए। पूंजीकरण के जरिए ऐसे निवेशों को भी विनियम 6 के अनुसार निर्धारित 400 प्रतिशत की सीमा की गिनती करते समय गणना में लिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ विनियम 11 के उपबंधों के अनुसार निर्यात प्राप्तियों का पूंजीकरण किया जा रहा हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विनियम 12(2) के अधीन अपेक्षित बीजक की सीमाशुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त करना होगा और उसे संशोधित ओडीआइ फार्म के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना होगा। अतिदेय निर्यात प्राप्तियों अथवा अन्य हकदारियों के पूंजीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी जिसके लिए भारतीय पार्टी ओडीआइ फार्म में एक आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विचारार्थ प्रस्तुत करें।
5. **विशिष्ट(युनिक) पहचान संख्या का आबंटन**
विदेशी में प्रत्येक संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था को आबंटित अनन्य पहचान संख्या को रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में उद्धृत करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समुद्रपारीय परियोजना को आवश्यक पहचान संख्या आबंटित करने के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक विनियम 6 के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित वर्तमान विदेशी प्रतिष्ठान में अतिरिक्त निवेश के लिए अनुमति दे सकते हैं।
6. **शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश**
शेयर स्वैप के रूप में निवेश के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त/ आबंटित शेयरों की संख्या, अदा किया गया/ प्राप्त प्रीमियम, अदा किया गया/ प्राप्त दलाली, जैसे लेनदेनों के ब्योरे अतिरिक्त रूप से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें और इस आशय का पुष्टिकरण दें कि लेनदेनों का आवक चरण एफआइपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया है, और कि मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और कि विदेशी कंपनियों के शेयर भारतीय निवेशक कंपनियों के नाम में जारी/ अंतरित किए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक आवेदकों से इस आशय का वचनपत्र भी प्राप्त करें कि भारतीय कंपनी में अनिवासियों द्वारा इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों की भावी बिक्री/ अंतरण समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
7. **7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के अंतर्गत निवेश**
विनियम 9 के अनुसार कुछ मामलों में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इस विशेष अनुमोदनों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक विप्रेषणों की अनुमति दे और उक्त

- विप्रेषण की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को फार्म ओडीआइ में दें।
8. **एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प (अप्शन) योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद**
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जारीकर्ता कंपनी ने सेबी/ सरकार के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है, एडीआर/ जीडीआर संबद्ध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना पांच कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में 50,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य राशि तक विप्रेषण कर सकते हैं।
9. **बयाना राशि जमा करने अथवा बोली बाँड गारंटी जारी करने के लिए विप्रेषण**
- (i) अधिसूचना के विनियम 14 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक जो विनियम 6 के तहत निवेश के लिए पात्र भारतीय पार्टी द्वारा संपर्क किए जाने पर बयाना रकम जमा (ईएमडी) के लिए विधिवत् भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद पात्र सीमा तक प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अथवा बोली लगाने अथवा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अभिग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया में सहभागिता हेतु उनकी ओर से बोली बाँड गारंटी जारी कर सकते हैं। बोली जीतने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक विधिवत् भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद अभिग्रहण मूल्य का विप्रेषण कर सकते हैं और ऐसे विप्रेषण की रिपोर्ट (बयाना के लिए शुरू में प्रेषित रकम को शामिल करके) फॉर्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक बयाने की रकम जमा करने हेतु विप्रेषण की अनुमति देते समय भारतीय पार्टी को सूचित करें कि यदि वे बोली में सफल न हुए तो यह सुनिश्चित करें कि विप्रेषण की राशि समय- समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 (देखें दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 9/2000-आरबी) के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।
- (ii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली/ निविदा में सफल हो जाती है परंतु निवेश न करने का निर्णय करती है तो ऐसे मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक बयाने की रकम जमा करने की दी गई अनुमति/ लागू की गई बोली बाण्ड गारंटी के ब्योरे फार्म ओडीआइ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें।
- (iii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली में सफल हो जाती है परंतु भारत से बाहर किसी कंपनी के अभिग्रहण के नियम और शर्तें भाग I में दी गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं अथवा जिसके लिए उप विनियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया गया, उससे भिन्न हैं तो भारतीय पार्टी फार्म ओडीआइ प्रस्तुत करके रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें।

10. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों की बिक्री के माध्यम से अंतरण

भारतीय पार्टी उपर्युक्त पैरा 3(3)(ग) में दिए गए अनुसार फार्म ओडीआई के भाग IV में विनिवेश के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे रिपोर्ट करें। शेयरों/ प्रतिभूतियों से प्राप्त बिक्री आय को, उसकी प्राप्ति के बाद तथा किसी भी स्थिति में शेयरों/ प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर अविलंब भारत प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

11. निवेश के सबूत का सत्यापन

शेयर प्रमाणपत्र अथवा निवेश के सबूत के तौर पर अन्य कोई दस्तावेज जहां पर शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाते हों , इसके बाद से , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत किये जायें और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा अपने पास रखे जायें जिसे ऐसे निवेशों की प्राप्ति पर निगरानी रखनी होगी तथा उसे इस बात से संतुष्टि होना होगा इस प्रकार प्राप्त दस्तावेज सही और वास्तविक हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट(एपीआर) [फॉर्मओडीआई का भाग III] के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

फार्म ओडीआइ

भाग I

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख.....

आवक सं.....

खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे

(i) स्वतः अनुमोदित मार्ग (ii) अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत निवेश
(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम

(III) भारतीय पार्टी का पता

शहर

राज्य

पिन

(IV) संपर्की

पदनाम

टेलीफोन सं.

फैक्स

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत :(कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(3) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(4) पंजीकृत भागीदारी

(5) स्वामित्व

(6) गैर-पंजीकृत भागीदारी

(7) ट्रस्ट

(8) सोसायटी

(9) अन्य

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट*

*3-डिजिट स्तर पर एनआइसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं]।

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु. 000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@का निवल मालियत			

@ 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII) भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं, जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे:

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)

- (क) नयी परियोजना है (कृपया खण्ड आ में ब्योरे दें)
- (ख) वर्तमान परियोजना है* (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में स्टेक का अधिग्रहण

खण्ड आ : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए											
विशिष्ट पहचान सं.											

(I) निवेश का प्रयोजन (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)

(क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान

(ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण

(घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण

(ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश

(च) अन्य

(II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे

(क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम

(ख) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता

(ग) देश का नाम

(घ) ई-मेल

(ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का लेखा वर्ष

(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का कार्यकलाप

कूट

(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था एसपीवी है?

(हां/नहीं) *

अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें

प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड इ : मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये 13 अंकों के विशिष्ट पहचान सं. निर्दिष्ट करें												

(I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (योग्य श्रेणी पर टिक करें)

- (क) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में वृद्धि
- (ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि
- (ग) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी/वृद्धि
- (घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि
- (ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण
- (च) अन्य

(II) पूंजी संरचना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/संस्था के लिए वित्तपोषण

(राशि विदेशी मुद्रा 000 में)

- | | | |
|-------|--|------------------|
| I | समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य | _____ |
| II | भारतीय पार्टी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक कीमत | _____ |
| III | वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू विदेशी मुद्रा में): विदेशी मुद्रा | _____ राशि _____ |
| IV | भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति | |
| (i) | नकदी विप्रेषण | |
| | (क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा | _____ |
| | (ख) बाज़ार खरीद | _____ |
| (ii) | निम्नलिखित का पूंजीकरण | _____ |
| | (क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात | _____ |
| | (ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | _____ |
| (iii) | एडीआर/जीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई) | _____ |
| (iv) | बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड | _____ |
| (v) | शेयरों का स्वैप | _____ |
| (vi) | अन्य (कृपया उल्लेख करें) | _____ |
| | कुल अ [भारतीय पार्टी] | _____ |
| V. | क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था एसपीवी है (हां/नहीं) | _____ |
| | (क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन | _____ |
| | i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य | _____ |
| | ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूशन | _____ |
| | iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां | _____ |
| | iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां | _____ |
| | v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां | _____ |
| | vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) | _____ |
| | vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें) | _____ |
| | कुल | _____ |
| VI. | गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं | _____ |

टिप्पणी* : जुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(च) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

भाग 3 : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

। (क) क्या आवेदक पार्टी (पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान चरण/ मामले के निपटान का ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी (पार्टियों) की स्थिति:

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/ अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य सूचना।

मैं/ हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर/मुद्रा

स्थान :-----

दिनांक: -----

नाम :-----

पदनाम :-----

संलग्नकों की सूची :

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

खण्ड ऊ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय पार्टी ने रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- (i) निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और
- (ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ बाह्य वाणिज्यिक उधार से निवेश/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के विप्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी, अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।
- (iii) निवेश के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।
- (iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- (v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।*

टिप्पणी : * केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदाहरण बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

भाग II**विप्रेषणों की रिपोर्टिंग****केवल कार्यालय उपयोग के लिए**

प्राप्ति की तारीख -----

आवक सं. -----

वर्तमान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :

नंबर													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(I) भारतीय कंपनी का नाम

(II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/ नहीं)

अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि विदेशी मुद्रा के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड	विदेशी मुद्रा**		
(क) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ख) बाज़ार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	
(ङ) भारत में/ भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख

(च) निर्यात/ अन्य प्राप्यों का पूंजीकरण @	
पूंजीकरण की तारीख:	राशि :
(छ) जारी की गई गारंटी : दिनांक (नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)	राशि :
वैधता अवधि	

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।

@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(जो लागू न हो उसे काट दें)

i) भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमति दी गई है;

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/ की ओर से जारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान

दिनांक:

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : _____

दिनांक: _____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर/ सील

नाम : _____

पदनाम : _____

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(ग) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तकनीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और / अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया देय न हो;

(घ) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष के लिए परिचालित है और उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई है;

(ङ) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो / प्रवर्तन निदेशालय / सेबी / बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा

फार्म ओडीआइ भरने के लिए अनुदेश

(इस भाग को अलग कर आवेदक अपने पास रखें)

फार्मों का यह सेट भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी निवेश से संबंधित बुनियादी सूचनाओं को एक स्थान पर इकट्ठा करने का प्रयास है (समय-समय पर यथासंशोधित 07 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी -2004 के तहत परिभाषित)।

- भाग I में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं, भारतीय पार्टियों और समुद्रपारीय कंपनियों की वित्तपोषण प्रणाली के ब्योरे शामिल है।
- भाग II में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित प्रेषणों की रिपोर्टिंग है।
- भाग III वार्षिक कार्य निष्पादन है, जिसमें समुद्रपारीय कंपनियों के कार्य निष्पादन के संक्षिप्त ब्योरे दिए गए हैं और ,
- भाग IV का उपयोग विनिवेश / परिसमापन / समापन के समय किया जाता है।

भाग I का खंड ई विवेचनात्मक है क्योंकि यहां स्वामित्व के स्वरूप और वित्तीय पद्धति के संबंध में सूचनाओं को शामिल किया गया है। भारत से विप्रेषण के ब्योरों के अतिरिक्त, भाग I एसपीवी / विदेश के अनुषंगियों , विदेशी साझीदारों के शेयरों आदि के माध्यम से निधीयन के पूर्ण ब्योरे भाग I में अवश्य रिपोर्ट किए जाएं।

(1) स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश करने की इच्छुक भारतीय पार्टियां फार्म का भाग I (खंड इ को छोड़कर) भरें और उसे नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत करें। जब कभी , प्रारंभिक प्रेषण / अनुमोदन के समय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए गए संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना में विस्तार, विलयन, अतिरिक्त पूंजी की वृद्धि आदि के रूप में परिवर्तन होता है तो, भाग I (खंड इ और ई) भरना आवश्यक है।

(2) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत नए प्रस्तावों के मामलों में, प्रेषण के तत्काल बाद , नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक भाग II के साथ फार्म का भाग I अनन्य पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, (ओआइडी), अमर बिल्डिंग, मुंबई को भेजे।

(3) अनुमोदन मार्ग के तहत, जांच के बाद, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अपने सिफारिशों के साथ फार्म का भाग I उपर्युक्त पते पर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। यदि अनुमोदित हो तो, फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक को लौटा दिया जाएगा जिसे विप्रेषण के तत्काल बाद फार्म के भाग II के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक उपर्युक्त पते पर रिजर्व बैंक को अविलंब पुनः प्रस्तुत करें।

(4) अनुपूरक प्रेषणों के मामलों में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म का केवल भाग II रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। तथापि, प्रारंभिक निवेश के समय किए गए रिपोर्टिंग के बाद , यदि संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना आदि में

परिवर्तन हुआ हो, तो फार्म के भाग II के साथ भाग I (खंड अ और आ को छोड़कर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(5) एक ही संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में एक से अधिक भारतीय प्रवर्तकों के निवेश के मामले में, संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक एकल फार्मेट में, प्रत्येक ऐसे प्रवर्तक के ब्योरे प्रस्तुत करें।

(6) जब तक संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था अस्तित्व में है तब तक प्रत्येक वर्ष संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के वार्षिक लेखाबंदी के 3 माह के अंदर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक के माध्यम से वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) (भाग III) में प्रस्तुत की जाए।

(7) विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए की सारी राशियां केवल हजार में होनी चाहिए ।

(8) जब संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का बंद / समापन / विनिवेश / परिसमापन आदि होता है तो ,विनिवेश के 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना उपर्युक्त पते पर रिजर्व बैंक को दी जाए।

(9) रिजर्व बैंक के पास सूचना को पब्लिक डोमेन में डालने का अधिकार सुरक्षित है।

रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है-

(क) सील बंद / बंद कवर में भारतीय पार्टी के बैंकों से प्राप्त एक रिपोर्ट;

(ख) निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी का वार्षिक लेखा अर्थात् तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा;

(ग) यदि वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक / पूर्णतः टेकओवर के लिए आवेदन है तो, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं-

(i) विदेशी कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति ;

(ii) निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी का वार्षिक लेखा अर्थात् तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा; और

(iii) निम्नलिखित से प्राप्त शेयर मूल्यांकन की एक प्रति:

➤ सेबी के पास पंजीकृत एक श्रेणी I मर्चेट बैंकर अथवा मेज़बान देश में उचित प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक निवेशक बैंकर / मर्चेट बैंकर ,जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डालर (पांच मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक है:

➤ अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार ;

(घ) प्रस्तावित निवेश का अनुमोदन करनेवाली भारतीय पार्टी / पार्टियों के निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति।

(ड.) जहां निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र में है तो, सांविधिक लेखापरीक्षक / सनदी लेखाकार से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भारतीय पार्टी :

(i) ने वित्तीय सेवा कार्यकलाप से पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है ;

(ii) वह वित्तीय सेवा कार्यकलाप के लिए भारत में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है;

- (iii) भारत और विदेश स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विदेश में वित्तीय सेवा कार्यकलाप में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है;
- (iv) भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया है।

समुद्रपारीय निवेश- स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान / गैर- पंजीकृत साझेदारी फर्म

पात्र स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान / गैर- पंजीकृत साझेदारी फर्म, 27 मई 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 29 के पैरा 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- 1 बैंक के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ ओडीआइ फार्म के भाग 1 में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 400001 को आवेदन करें।

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग

_____ मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत भारतीय कर्मचारियों / निदेशकों को आबंटित शेयरों का विवरण (कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स (भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) मेसर्स (विदेशी कंपनी) ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को शेयर जारी किए हैं

(i) आबंटित शेयरों की संख्या :

(ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर स्वीकार किया है:

(iii) विप्रेषित राशि :

ख) मार्च 31, _____ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स की प्रभावी धारिता 51% से कम नहीं है और

ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

सेवा में-

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

समुद्रपारीय निवेश प्रभाग

केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल

सर पी.एम. रोड, फोर्ट,

मुंबई 400 001.

---- मार्च -----को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजनाओं के तहत भारतीय कर्मचारियों/ निदेशकों से जारीकर्ता कंपनी द्वारा पुनः खरीदे गए शेयरों का विवरण (उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स(भारतीय कंपनी) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

क) मेसर्स (विदेशी कंपनी) ने वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को जारी _____ शेयरों की पुनः खरीद की है,

- (i) आबंटित शेयरों की संख्या :
- (ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर बेचे हैं :
- (iii) विप्रेषण की राशि (आवक) :

ख) मार्च 31, _____ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स की प्रभावी धारिता 51% से कम न हो और

ग) मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

सेवा में-

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल
सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची
विदेश में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश

अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	फेमा 120/आरबी-2004	07 जुलाई, 2004
2	फेमा 132/आरबी-2005	31 मार्च, 2005
3	फेमा 135/आरबी-2005	17 मई 2005
4	फेमा 139/आरबी-2005	11 अगस्त 2005
5	फेमा 150/आरबी-2006	21 अगस्त 2006
6	फेमा 164/आरबी-2007	9 अक्टूबर 2007
7.	फेमा 173/आरबी-2007	19 दिसंबर 2007
8.	फेमा 180/आरबी-2008	5 सितंबर 2008
9.	फेमा 181/आरबी-2008	01 अक्टूबर 2008
10.	फेमा 196/आरबी-2009	28 जुलाई 2009

ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.14	01 अक्टूबर 2004
2	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.32	09 फरवरी 2005
3	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.42	12 मई 2005
4	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.9	29 अगस्त 2005
5	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29	27 मार्च 2006
6	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.30	05 अप्रैल 2006
7	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.3	03 जुलाई 2006
8	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.6	06 सितंबर 2006
9	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11	16 नवंबर 2006
10	ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.41	20 अप्रैल 2007

11	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	30 अप्रैल 2007
12	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50	04 मई 2007
13	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	08 मई 2007
14	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	01 जून 2007
15	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.72	08 जून 2007
16	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	14 जून 2007
17	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	19 जून 2007
18	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	26 सितंबर 2007
19	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	26 सितंबर 2007
20	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	03 अप्रैल 2008
21	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	03 जून 2008
22	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून 2008
23	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	13 अगस्त 2008
24	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	05 सितंबर 2008
25	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36	24 फरवरी 2010
26	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	01 अप्रैल 2010
27	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	27 मई 2011
28	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	29 जून 2011